न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-692RAAJodhpur2025-307RTA223 Sayar Kanwar Vs Mankanwar etc

सायर कंवर पत्नी पन्नेसिंह, जाति राजपूत निवासी पाबूजी नगर, रिडमलसर तहसील आउ जिला फलोदी।

अपीलाण्ट.....

ब
ना
म

1. मानकंवर पुत्री भूरसिंह, पत्नी धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी—जयनारायण व्यास कॉलोनी, जैसलमेर।
2. ओमकंवर पुत्री धोकलसिंह पत्नी रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी—न्यू बीजेएस कोलोनी, जोधपुर।
3. सजनकंवर पुत्री धोकलसिंह, पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी—न्यू, बीजेएस कोलोनी जोधपुर।
4. केसु राम पुत्र छोगाराम फौत के कायम मुकाम—
   4.1. रामेश्वरलाल पुत्र केसरीमल
   4.2. धनसुख पुत्र केसरीमल
5. जेठाराम पुत्र चम्पालाल
6. बजरंगलाल पुत्र चम्पालाल
7. भागीरथराम पुत्र चम्पालाल
8. रेवतराम पुत्र चम्पालाल
9. हस्तीमल पुत्र चम्पालाल
10. भगवानराम पुत्र नैनूराम
11. पवनकुमार पुत्र नेनूराम जाति ब्राहमण निवासी— रिडमलसर त. आऊ जिला फलोदी
12. सायर कंवर पुत्री गुमानसिह फोत के कायम मुकाम—
    12.1. भैरूसिह पुत्र भंवरसिंह
    12.2. जतनकंवर पुत्री भवरसिंह जाति राजपूत निवासी – तापु तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
13. खुमाणसिंह पुत्र पन्नेसिंह
14. गजेसिह पुत्र पन्नेसिह
15. जाति राजपूत, निवासी—पाबूजीनगर, ग्राम पचायत गोविन्दनगर तहसील आऊ, जिला फलोदी राज०।
16. ग्राम पंचायत रिडमलसर जरिये सरपंच, तहसील आउ जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2025 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 33/2025 खुमाणसिंह व अन्य बनाम मानकंवर इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सुरेश चारण, श्री हर्ष भाटी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सोलह

नि र्ण य

दिनांक : 18 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/2025 अनवान खुमाणसिंह व अन्य बनाम मानकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 अक्टूबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या तेरह व चौदह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम प्रतापनगर तहसील आऊ के खेत खसरा नंबर 449 रकबा 45.3571 हैक्टेयर व ग्राम पाबूजी नगर तहसील आऊ में स्थित खसरा नंबर 702 रकबा 42.2329 हैक्टेयर के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक से तीन की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के नोटिस सम्यक रूप से तामिल नही करवाये गये थे। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे जाने के पश्चात रसीदे देरी से प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गई तथा उनके साथ किसी तरह की कोई ट्रेकिंग रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की गई, न ही ए.डी. साथ में भेजी गई, जिससे भी साबित होता है कि जानबूझकर नोटिस गलत रूप से तामिल करवाने की नियत से देरी से रसीदे प्रस्तुत कर तामिल की कार्यवाही पूर्ण करने की खानापूर्ति की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से तामील मानते हुए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिसमें हिस्सों को लेकर भयंकर विवाद है। पक्षकारान की सहखातेदारी की अन्य भूमि अन्य ग्राम में आई हुई है। विवादित भूमि में खातेदार अधिक होने के कारण भाई बंट के अलग अलग बंट किये हुए है, जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के परिवार को दी हुई है। मौके पर हाईवे सड़क निकल जाने के कारण व अपीलार्थी द्वारा मेहनत करके जमीन को कीमती बनाये जाने के कारण वादी के मन में लालच पैदा हो गया। अपीलार्थी को जवाब व साक्ष्य का मौका नही मिल पाने के कारण उक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख सके थे। इसलिए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, परन्तु उसके द्वारा कोई भी दस्तावेजात प्रदर्शित नही करवाये गये है, जिस कारण वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में ही अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को साबित करवाये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, जबकि वादी द्वारा अपना वाद मौखिक व लिखित साक्ष्य से साबित नही किया है। इसके बावजूद भी वाद को साबित मानने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख पाये थे, जिस कारण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही मिल सका। इस कारण आलोच्य निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/2025 अनवान खुमाणसिंह व अन्य बनाम मानकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला पुनः विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधिनुसार निस्तारित किये जाने के निर्देश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी सहित सभी प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवाते हुए उभय पक्षकारान् पर को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनकी सहमति से वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्सें में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अपीलांट द्वारा हिस्सों में विवाद को लेकर किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि ग्राम प्रतापनगर तहसील आऊ के खेत खसरा नंबर 449 रकबा 45.3571 हैक्टेयर व ग्राम पाबूजी नगर तहसील आऊ में स्थित खसरा नंबर 702 रकबा 42.2329 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल/परिवर्तन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलार्थीनी द्वारा गलत हिस्से के संबंध में किये गये कथनों के समर्थन में/हिस्से में परितर्वन बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के जरिये सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। उसके बावजूद भी अपीलार्थीनी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का सुनवाई के संबंध में उठाया गया उज्र स्वीकार योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हक–हिस्सों में परिवर्तन नहीं किया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 331/2025 अनवान खुमाणसिंह व अन्य बनाम मानकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 अक्टूबर 2025 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-692RAAJodhpur2025-307RTA223 Sayar Kanwar Vs Mankanwar etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
सायर कंवर पत्नी पन्नेसिंह, जाति राजपूत निवासी पाबूजी नगर, रिडमलसर तहसील आउ जिला फलोदी।	ब ना म	1. मानकंवर पुत्री भूरसिंह, पत्नी धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी–जयनारायण व्यास कॉलोनी, जैसलमेर। 2. ओमकंवर पुत्री धोकलसिंह पत्नी रामचन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी–न्यू बीजेएस कोलोनी, जोधपुर। 3. सजनकंवर पुत्री धोकलसिंह, पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी–न्यू, बीजेएस कोलोनी जोधपुर। 4. केसु राम पुत्र छोगाराम फौत के कायम मुकाम– 4.1. रामेश्वरलाल पुत्र केसरीमल 4.2. धनसुख पुत्र केसरीमल 5. जेठाराम पुत्र चम्पालाल 6. बजरंगलाल पुत्र चम्पालाल 7. भागीरथराम पुत्र चम्पालाल 8. रेवतराम पुत्र चम्पालाल 9. हस्तीमल पुत्र चम्पालाल 10. भगवानराम पुत्र नैनूराम 11. पवनकुमार पुत्र नेनूराम जाति ब्राहमण निवासी–रिडमलसर त. आऊ जिला फलोदी 12. सायर कंवर पुत्री गुमानसिह फोत के कायम मुकाम– 12.1. भैरूसिह पुत्र भंवरसिंह 12.2. ज़तनकंवर पुत्री भवरसिंह जाति राजपूत निवासी – तापु तहसील ओसिया जिला जोधपुर। 13. खुमाणसिंह पुत्र पन्नेसिंह 14. गजेसिह पुत्र पन्नेसिह 15. जाति राजपूत, निवासी–पाबूजीनगर, ग्राम पचायत गोविन्दनगर तहसील आऊ, जिला फलोदी राज०। 16. ग्राम पंचायत रिडमलसर जरिये सरपंच, तहसील आउ जिला फलोदी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2025 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 33/2025 खुमाणसिंह व अन्य बनाम मानकंवर इत्यादि

यह अपीले बतारीख 18 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल, मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री सुरेश चारण, श्री हर्ष भाटी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/2025 अनवान खुमाणसिंह व अन्य बनाम मानकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 अक्टूबर 2025 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----00----) रूपये --------00----------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ------00-------- अदा करें।

बसब्ब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 18 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील	/
मीजान		मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर